FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 13 / 2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांक राजस्व / 2020 / 814दिनांक 01.09.2020 द्वारा ग्राम रूपपुरा प0ह0 ज्ञानगढ तहसील करेड़ा के बिलानाम आ.नं.1280 रकबा 3.04 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी मे से रकबा 0.08 बीघा भूमि को जो ग्राम रूपपुरा से मजरा धरड़ीया तक की ग्रेवल सड़क जो मौके पर चालू रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है जिसके समर्थन में सम्वत् 2071 से 2074 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस,मौका रिपोर्ट पटवार हल्का ज्ञानगढ के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालयके क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक12.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	
12.10.2020	पत्राावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अत:सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **:: आदेश ::** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का ज्ञानगढ तहसील करेड़ा के बिलानाम आ.नं. 1280 रकबा 3.04 बीघा किस्म गै.मु.मंगरी मे से रकबा 0.08 बीघा भूमि को जो ग्राम रूपपुरा [illegible] ग्रेवल सड़क जो मौके पर रास्ता के रूप में चालू [illegible] राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में संलग्न नक्शा [illegible] अनुसार कर अमलदरामद की कार्यवाही [illegible] इस न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] कम हो। (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.04.01 18:43:40 IST
Reason: SelfAttested